



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक – 21.04.2025

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित वाले हिस्ट्रीशीटर सहित 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

कार्यवाही –

दिनांक 14.10.2017 को वादी श्री राकेश पुत्र नत्थू सिंह निवासी ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने थाना स्योहारा पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.आदित्य पुत्र राजपाल सिंह निवासी ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 2.विशाल पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम चंचलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर 3.रोहित पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्वाहेडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 4.राहुल पुत्र राजाराम निवासी ग्राम राना नंगला थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा डेरी पर दूध लेकर जाते समय वादी के भाई मुकेश की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सम्बंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 536/17 धारा 302/120बी/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उक्त अभियोग में बिजनौर पुलिस, मॉनिटरिंग सैल एवं अभियोजन द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 21.04.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टीसी0 – II, जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 536/17 धारा 302/120बी/506 भादवि एवं आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्तगण **1.विशाल (हिस्ट्रीशीटर)** पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम चंचलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 2.रोहित पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्वाहेडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 11,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त विशाल थाना स्योहारा का हिस्ट्रीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 – 59A) अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध थाना स्योहारा पर हत्या, लूट, जानलेवा हमला, गैंगस्टर आदि गम्भीर धाराओं में आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

नोट – हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों को अधिकाधिक सजा से दण्डित कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में **20 वें हिस्ट्रीशीटर को दण्डित कराया गया।**

दोषसिद्ध अभियुक्तगण का नाम पता –

- 1.विशाल (हिस्ट्रीशीटर) पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम चंचलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर
- 2.रोहित पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम स्वाहेडी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 21.04.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 343/2025 धारा 352/109(1)/115(2) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 21.04.2025 वादी श्री राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री हरि सिंह निवासी ग्राम आदमपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 20.04.2025 को समय लगभग 04.00 बजे वह अपने घर से सालमाबाद में लगन में गये थे । वहाँ पर वादी का पडोसी कपिल पुत्र मदन मौजूद था, जो वादी से रंजिश रखता है । मौका पाकर कपिल द्वारा वादी के साथ साथ गाली-गलौच की गयी तथा जान से मारने की नियत से सिर पर सरिये से वार कर दिया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 343/2025 धारा 352/109(1)/115(2) बीएनएस बनाम कपिल उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 21.04.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्त कपिल पुत्र मदन निवासी ग्राम आमदपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

कपिल पुत्र मदन निवासी ग्राम आमदपुर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना में प्रयुक्त सरिया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 2617 मोहित थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात

दिनांक – 21.04.2025

**थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 79/25 धारा 137(2)/87/69(1) बीएनएस व धारा 3/4
पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.04.2025 को वादी ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि योगेश पुत्र मुन्नू सिंह उर्फ भगत सिंह निवासी ग्राम पीतमगढ मिर्जापुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 79/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 87/69(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।



कार्यवाही –

आज दिनांक 21.04.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त योगेश पुत्र मुन्नू सिंह उर्फ भगत सिंह निवासी ग्राम पीतमगढ मिर्जापुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

योगेश पुत्र मुन्नू सिंह उर्फ भगत सिंह निवासी ग्राम पीतमगढ मिर्जापुर थाना मण्डावली जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री संजय कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री त्रिवेन्द्र सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
3. का0 500 अमित कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 21.04.2025

**थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 258/25 धारा 352/109(1)/351(3) बीएनएस में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.03.2025 को वादिया द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 28.03.2025 को चाँदू उर्फ अभिषेक पुत्र विमल उर्फ पप्पू शर्मा निवासी मौ0 ब्रह्मनन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 02 व्यक्तियों द्वारा वादिया के घर के बाहर आकर वादिया के साथ गाली – गलौच की गयी तथा चाँदू उर्फ अभिषेक के साथ आये अज्ञात व्यक्ति ने तमंचे से वादिया के ऊपर जान से मारने की नियत से फायर किया जो घर के गेट के पास लगा तथा अभियुक्तगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 258/25 धारा 352/109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

आज दिनांक 21.04.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त भोला उर्फ सन्दीप पुत्र नरेश निवासी हसनपुर जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता –

भोला उर्फ सन्दीप पुत्र नरेश निवासी हसनपुर जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.कां0 1198 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1475 अश्वनी सिद्धु थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना किरतपुर

दिनांक 21.04.2025

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही :-

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त सुहैल पुत्र मौहम्मद इसरार निवासी मौहल्ला अफगानान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को एक अवैध 315 तमंचा बोर व एक जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 85/2025 धारा 9/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

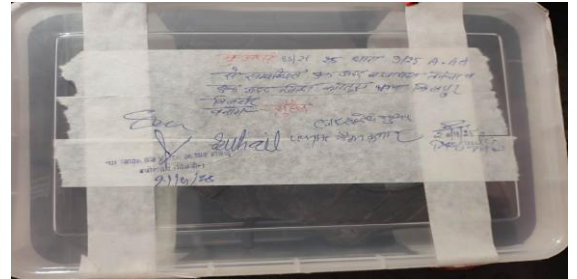
सुहैल पुत्र मौहम्मद इसरार निवासी मौहल्ला अफगानान थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध 315 तमंचा बोर व एक जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. थाना प्रभारी वीरेन्द्र कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 शिव कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
3. हे0का0 447 गौतम थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
4. हे0का0 450 अरूण थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
5. का0 315 सहदेव थाना किरतपुर जनपद बिजनौर





जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना

दिनांक 21.04.2025

थाना नगीना पुलिस द्वारा अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार किया गया ।

कार्यवाही :-

थाना नगीना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त शिवा पुत्र स्व० सुरेश निवासी मौ० बाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नगीना पर मु०अ०सं० 61/2025 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

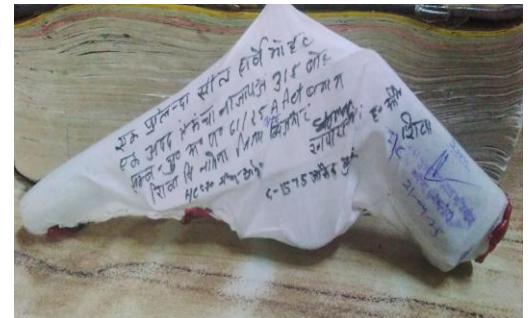


गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता :-

शिवा पुत्र स्व० सुरेश निवासी मौ० बाल्मिकी बस्ती कस्बा व थाना नगीना जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ०नि० श्री सुभाष तोमर थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 2.हे०का० 570 जफर थाना नगीना जनपद बिजनौर
- 3.का० 1575 अंकित कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 21.04.2025

थाना नहतौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 90/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को चोरी की गयी ट्रॉली व घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.04.2025 को वादी राहुल गोयल पुत्र संजय गोयल नि0 मौ0 मौलवियान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर ने थाना नहतौर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की ट्रॉली पीर की चुंगी निकट गैस एजेन्सी कस्बा नहतौर से चोरी कर ली गयी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहतौर पर मु0अ0सं0 90/2025 धारा 303(2)



बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में जहीन पुत्र हसीनुद्दीन नि0 मौ0 लकड़हारान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया ।

कार्यवाही:-

थाना नहतौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त जहीन पुत्र हसीनुद्दीन नि0 मौ0 लकड़हारान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी ट्रॉली व घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामगदी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

बरामदगी:-

चोरी की गयी ट्रॉली व घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जहीन पुत्र हसीनुद्दीन नि0 मौ0 लकड़हारान कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री अशोक मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर
2. हे0का0 131 शरद पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर
3. का0 749 राजदीप थाना नहतौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात

दिनांक – 21.04.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले अभियुक्त को घटना मे प्रयुक्त अवैध तमंचा व खोखा / जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 20.04.2025 को समय प्रातः करीब 09:20 बजे थाना कोतवाली देहात पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम करौंदा चौधर में शिवांक त्यागी पुत्र सुशील त्यागी ने प्रेम-प्रसंग के चलते गांव की ही रहने वाली लडकी भावना विश्वकर्मा पुत्री वेद प्रकाश शर्मा के सिर में गोली मार दी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची तथा शीघ्रता से घायल भावना उपरोक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी है। घटना के सम्बंध मृतका के पिता श्री वेदप्रकाश शर्मा पुत्र



स्व० जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम करौंदा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर द्वारा प्रतिवादीगण 1. शिवांग त्यागी पुत्र सुशील त्यागी 2. सुशील त्यागी पुत्र शिवदयाल त्यागी 3. शैली त्यागी पत्नी सुशील त्यागी निवासीगण ग्राम करौंदा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर 4. नितिन त्यागी पुत्र नामालूम निवासी रुहाना मिल जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध षडयन्त्र के तहत वादी की पुत्री की हत्या किये जाने के सम्बंध में थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 67/2025 धारा 103(1)/61(2)/351(3)/126(2) बी०एन०एस० बनाम शिवांग आदि कुल 04 नफर पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

उक्त अभियोग के मुख्य अभियुक्त शिवांग त्यागी द्वारा घटना के उपरान्त स्वयं थाना कोतवाली देहात पहुंचकर घटना में प्रयुक्त तमंचा व खोखा / जिन्दा कारतूस सहित पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया, जिसको पुलिस द्वारा नियमानुसार हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि वह और भावना काफी समय से एक साथ पढ़े थे तथा वह भावना से शादी करना चाहता था। किन्तु भावना के परिवार वाले शादी करने के लिए तैयार नहीं थे तथा भावना के परिवार वालों द्वारा भावना की शादी दिनांक 01.05.2025 को नूरपूर में तय कर दी थी। स्वयं से भावना की शादी न होने के कारण उसने भावना की हत्या करने की योजना बनायी।

दिनांक 20.04.2025 को जब भावना अपने पिता व अपनी बहन के साथ मोटर साईकिल पर बैठकर बाजार जा रही थी तो उसने पीछा कर रास्ता रोककर भावना को तमंचे से गोली मार दी तथा छिपते – छिपाते थाने पर पहुंच गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शिवांग त्यागी पुत्र सुशील त्यागी निवासी करौन्दा चौधर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना मे प्रयुक्त अवैध तमंचा व एक खोखा / जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र गिरि थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 3.आरक्षी 1169 मनीष कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 4.हो0गा0 अनंगपाल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 21.04.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने 08 अभियुक्तों को चोरी की 05 मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

दिनांक 20.04.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 08 अभियुक्तगण
1. अलतमश पुत्र राशिद निवासी मौ० लडापुरा
थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. समीर पुत्र जमीर निवासी मौ० मोलवियान
कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. निजाम पुत्र शहजाद निवासी बक्शीवाला
थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. पीयूष पुत्र टीकम निवासी ग्राम नांगल जट



थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 5. शाहिल उर्फ कच्चा पुत्र बब्बू निवासी मौ० मोलवियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 6. कैलाश पुत्र जयपाल निवासी ग्राम गंगोरा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 7. प्रिंश पुत्र कृष्ण कुमार निवासी गंगोरा जट थाना हल्दौर 8. नीरज पुत्र नरेश कुमार निवासी नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी 05 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

मोटरसाइकिल रजि० नं० UP20Z7303 को चेक किया गया तो उक्त मोटरसाइकिल मौ० मुदस्सिर पुत्र श्री नसीम निवासी ग्राम सेवारामपुर मण्डावली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के नाम पंजीकृत है, जिसके सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 337/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

दूसरी मोटरसाइकिल रजि० नं० UP20BC1625 नबी हसन पुत्र सिकन्दर अली निवासी मानियावाला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर के नाम पंजीकृत है तथा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 338/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर से सम्बंधित है।

तीसरी मोटरसाइकिल रजि० नं० UP20AJ1019 को चेक किया गया तो वाहन स्वामी अमजद जावेद पुत्र श्री फरीदुद्दीन निवासी मौ० नई बस्ती बी 14 थाना कोतवाली शहर बिजनौर के नाम पर पंजीकृत होना पायी गयी। उक्त मोटरसाइकिल के सम्बंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 340/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

चौथी मोटर साइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर रजि० नं० UP20J5787 चेक किया गया तो अंकित कुमार पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम किशनपुर रायपुर बिजनौर के नाम पंजीकृत होना पायी गयी। पांचवी मोटर साइकिल स्प्लेंडर प्लस बिना नम्बर प्लेट को चेक किया गया तो उक्त मोटर साइकिल कृष्णा पुत्र ओमपाल सिंह निवासी गनौरा कुम्हैडा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर के नाम पंजीकृत है तथा मोटरसाइकिल का रजि० नं० UP20CL9139 प्रदर्शित हो रहा है। उक्त दोनो मोटरसाइकिल के सम्बंध में जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि उन्होंने ये मोटरसाइकिल मैरिज हॉल, अस्पताल, मॉल व भीड़ भाड़ वाली जगहों से चोरी की है। इनमे से एक मोटरसाइकिल पैरिस गार्डन मैरिज हाल के बाहर से चुरायी थी व एक मोटरसाइकिल एसआरएस मॉल के बाहर से चुरायी थी। घटना कारित करने के लिये पहले ये लोग रेकी करते हैं तथा इनके एक दो साथी मो0सा0 मालिक के पीछे चले जाते हैं और दो-तीन लोग मोटरसाइकिल का लॉक खोलने का प्रयास करते हैं। चोरी की गयी मोटरसाइकिलों पर ब्लैक लैमिनेशन चढ़वा देते हैं और उन्हें मोडीफाई कर देते हैं, जिससे कि मोटरसाइकिल पहचानने में न आये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –

1. अल्लमश पुत्र राशिद निवासी मौ0 लडापुरा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
2. समीर पुत्र जमीर निवासी मौ0 मोलवियान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. निजाम पुत्र शहजाद निवासी बक्शीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
4. पीयूष पुत्र टीकम निवासी ग्राम नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
5. शाहिल उर्फ कच्चा पुत्र बब्बू निवासी मौ0 मोलवीयान कस्बा झालू थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
6. कैलाश पुत्र जयपाल निवासी ग्राम गंगोरा जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
7. प्रिंश पुत्र कृष्ण कुमार निवासी गंगोरा जट थाना हल्दौर
8. नीरज पुत्र नरेश कुमार निवासी नांगल जट थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

चोरी की गयी 05 मोटरसाइकिल

अपराधिक इतिहास अभियुक्त कैलाश उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 194/15 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना हल्दौर बिजनौर
2. मु0अ0सं0 227/16 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना हल्दौर बिजनौर
3. मु0अ0सं0 220/17 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना हल्दौर बिजनौर
4. मु0अ0सं0 0012/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना हल्दौर बिजनौर
5. मु0अ0सं0 0267/22 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना हल्दौर बिजनौर
6. मु0अ0सं0 0034/23 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना हल्दौर बिजनौर
7. मु0अ0सं0 362/23 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना हल्दौर बिजनौर
8. मु0अ0सं0 400/23 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना हल्दौर बिजनौर
9. मु0अ0सं0 340/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस 2023 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
10. मु0अ0सं0 337/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस 2023 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त अल्लमश उपरोक्त –

- 1.मु0अ0सं0 905/2024 धारा 109/115(2)/118(1) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 337/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 338/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 340/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त समीर उपरोक्त –

- 1.मु0अ0सं0 337/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 338/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 340/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त निजाम उपरोक्त –

- 1.मु0अ0सं0 337/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 338/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 340/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त पीयूष उपरोक्त –

- 1.मु0अ0सं0 337/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 338/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 340/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त शाहिल उपरोक्त –

- 1.मु0अ0सं0 337/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 338/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 340/2025 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रिंश उपरोक्त –

- 1.मु0अ0सं0 340/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 337/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

अपराधिक इतिहास अभियुक्त नीरज उपरोक्त –

- 1.मु0अ0सं0 340/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 337/25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 सुशील कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 शौकत अली थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 5.हे0कां0 06 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 6.कां0 1084 मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 7.कां0 1198 सन्दीप कुमार थाना को० शहर जनपद बिजनौर
- 8.कां0 119 अरसद थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 9.कां0 904 विमल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 10.कां0 1475 अश्वनी सिद्धु थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 11.कां0 2061 संदीप थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 21.04.2025

थाना नूरपुर क्षेत्र में हुई गोकशी की घटना का अनावरण, 04 शातिर अभियुक्तगण (02 घायल अवस्था में) को पुलिस मुठभेड के दौरान अवैध शस्त्र, पशुवध करने के उपकरण व घटना मे प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 20/21.04.2025 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनो की चेकिंग के दौरान नूरपुर-स्योहारा मार्ग पर स्योहारा की तरफ से आ रही एक सैन्ट्रो कार (सिल्वर कलर) को रोकने का इशारा किया तो कार सवार बदमाश बदमाश गाडी से उतरकर खेतों की तरफ भागने लगे, जिनमे से 02 बदमाशो द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग मे दो बदमाशों के पैर मे गोली लगी, जिन्हे मौके पर ही अवैध शस्त्रो सहित घायल अवस्था मे गिरफ्तार किया गया तथा अन्य दो बदमाशो को भी पीछा कर पकड लिया गया । मौके पर बरामद सैन्ट्रो कार रजिस्ट्रेशन नं0 DL7CE 8867 से पशुवध करने के उपकरण (एक लकडी का गुटका व दो छुरी, एक कुल्हाडी, एक चापड व एक रस्सी तथा दो प्लास्टिक के कट्टे) बरामद हुए । घायल दोनो बदमाशो को उपचार हेतु अस्पताल मे भर्ती कराया गया ।



घायल दोनो बदमाशो ने अपने नाम 1.सद्धाम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ0 सैफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 2.इरशाद पुत्र हनीसू निवासी ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर बताये । अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध तमंचे 315 बोर, 03 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुए । गिरफ्तार किये गए अन्य दोनो अभियुक्तो ने अपने नाम 3.जीशान पुत्र अतीक निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 4.जीशान पुत्र दिलदार उर्फ दिलशाद निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर बताये । इस संबंध मे थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 144/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है ।

अभियुक्तो से की गई पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये कि वे चारों लोग जंगल मे घूम रहे गौवंशीय पशुओं को मौका देखकर रात्रि के अंधेरे में पकड लेते हैं तथा जंगल में ही उनका वध करके मांस को कट्टे में भरकर सैन्ट्रो कार (अभियुक्तो से बरामद) में रखकर ले जाते हैं तथा मीट की दुकान चलाने वाले 1.हनीफ मलिक पुत्र नत्थू निवासी ग्राम नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 2.नवाब मलिक निवासी भातू वाला नवादा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 3.आसिफ पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम मंगोलपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 4.फैसल निवासी मौ0 मौहम्मदनगर (जामा मस्जिद) कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को सस्ते दामों मे बेच देते हैं और पैसा आपस मे बांट लेते हैं । करीब 08-10 दिन पहले भी चारों अभियुक्तो ने दो गौवंशीय पशुओं को काटकर उनके अवशेषो को थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम मोलावाला उर्फ तकीपुर घासी के खेतों मे फेंकना बताया । (इस संबंध मे थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 141/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत है।) तथा गौवंशीय पशुओं का मांस कट्टे में भरकर इसी सैन्ट्रो गाडी से ले जाकर हनीफ, नवाब, आसिफ व फैसल उपरोक्त को बेच दिया गया था ।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तो से की गई पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश मे आये कि वे चारों लोग जंगल मे घूम रहे गौवंशीय पशुओं को मौका देखकर रात्रि के अंधेरे में पकड लेते हैं तथा जंगल में ही उनका वध करके मांस को कट्टे में भरकर सैन्ट्रो कार (अभियुक्तो से बरामद) में रखकर ले जाते हैं तथा मीट की दुकान चलाने वाले 1.हनीफ मलिक पुत्र नत्थू निवासी ग्राम नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर, 2.नवाब मलिक निवासी भातू वाला नवादा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद 3.आसिफ पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम मंगोलपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर व 4.फैसल निवासी मौ0 मौहम्मदनगर (जामा मस्जिद) कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को सस्ते दामों मे बेच देते हैं और पैसा आपस मे बांट लेते हैं । करीब 08-10 दिन पहले भी चारों अभियुक्तो ने दो गौवंशीय पशुओं को काटकर उनके अवशेषो को थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम मोलावाला उर्फ तकीपुर घासी के खेतों मे फेंकना बताया । (इस संबंध मे थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 141/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम पंजीकृत है।) तथा गौवंशीय पशुओं का मांस कट्टे में भरकर इसी सैन्ट्रो गाडी से ले जाकर हनीफ, नवाब, आसिफ व फैसल उपरोक्त को बेच दिया गया था ।

नोट – अभियुक्त सद्दाम व अभियुक्त इरशाद उपरोक्त क्रमशः थाना नूरपुर व थाना चांदपुर के हिस्ट्रीशीटर अपराधी हैं जिनके विरुद्ध थाना नूरपुर सहित जनपद के अन्य थानों पर करीब 01-01 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सद्दाम पुत्र मुन्ने निवासी ग्राम दौलतपुर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर हाल निवासी मौ० सैफियाबाद कस्बा व थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. इरशाद पुत्र हनीसू निवासी ग्राम गोयली थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. जीशान पुत्र अतीक निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4. जीशान पुत्र दिलदार उर्फ दिलशाद निवासी ग्राम सब्दलपुर थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।

वांछित अभियुक्तगण का विवरण –

1. हनीफ मलिक पुत्र नत्थू निवासी ग्राम नंगली जाजू थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. नवाब मलिक निवासी भातू वाला नवादा थाना कांठ जनपद मुरादाबाद।
3. आसिफ पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम मंगोलपुरा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
4. फैसल निवासी मौ० मौहम्मदनगर (जामा मस्जिद) कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरण –

- 1- 02 तमंचे 315 बोर, 03 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
- 2- पशु वध के उपकरण (एक कुल्हाड़ी, एक चापड, दो छुरी एक लकड़ी का गुटका व रस्सी मय प्लास्टिक के कट्टे)
- 3- घटना में प्रयुक्त एक सैन्ट्रो कार नम्बर DL7C E 8867
- 4- एक एन्ड्रोएड मोबाईल रंग फिरोजी कम्पनी टेक्नो स्पार्क (अभियुक्त इरशाद उपरोक्त से बरामद)
- 5- एक किपैड मोबाईल सेमसंग कम्पनी (अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त से बरामद)
- 6- एक एन्ड्रोएड मोबाईल रंग नीला आईटेल कम्पनी (अभियुक्त जीशान पुत्र अतीक उपरोक्त से बरामद)

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त सद्दाम उपरोक्त -

1. मु०अ०सं० 164/2020 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 204/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना स्योहारा जनपद बिजनौर।
3. मु०अ०सं० 248/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. मु०अ०सं० 346/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. मु०अ०सं० 207/2022 धारा 307/34 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 208/2022 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. मु०अ०सं० 210/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
4. मु०अ०सं० 249/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
9. मु०अ०सं० 141/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
10. मु०अ०सं० 144/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त इरशाद उपरोक्त –

1. मु०अ०सं० 130/2016 धारा 395/412 भादवि थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।
2. मु०अ०सं० 1027/2016 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. मु०अ०सं० 682/2017 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
4. मु०अ०सं० 74/2020 धारा 269/270/273/429 भादवि थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
5. मु०अ०सं० 271/2020 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
6. मु०अ०सं० 281/2020 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
7. मु०अ०सं० 008/2021 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर।

8. मु0अ0सं0 31/2021 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।
9. मु0अ0सं0 54/2021 धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम थाना शिवाला कलां जनपद बिजनौर ।
10. मु0अ0सं0 141/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
11. मु0अ0सं0 144/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त जीशान पुत्र अतीक उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 141/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 144/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त जीशान पुत्र दिलदार उपरोक्त –

1. मु0अ0सं0 141/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0अ0सं0 144/2025 धारा 109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री जयभगवान सिंह थाना प्रभारी नूरपुर जनपद बिजनौर ।
2. श्री विकास कुमार प्रभारी सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर ।
3. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
4. उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
5. उ0नि0 श्री देवी प्रसाद गौतम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
6. उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
7. आरक्षी सुजीत सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर ।
8. आरक्षी दीपक सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर ।
9. मुख्य आरक्षी सुमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
10. मुख्य आरक्षी सतीश कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
11. मुख्य आरक्षी भूपेन्द्र सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
12. मुख्य आरक्षी राजू सागर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
13. आरक्षी नीरज पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
14. आरक्षी गौरव तोमर थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
15. आरक्षी गौरव कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
16. आरक्षी अमित भाटी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
17. आरक्षी अमित पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
18. आरक्षी अजय कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
19. आरक्षी अर्जुन सिंह थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।